(24)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 627–तीन/2002 – विरूद्ध आदेश दिनांक 31–01–2002 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण 352/2000–2001 अपील

सीताराम पुत्र बालाराम जाट
निवासी ग्राम बमौरी चन्द्रपुरा
तहसील व जिला श्योपुर ---आवेदक

विरूद्ध

1– मदनलाल पुत्र पन्नालाल
2– रामप्रसाद पुत्र बालाराम
3– रामकुमार पुत्र धन्नालाल
निवासी ग्राम गोडाखेड़ी
तहसील व जिला श्योपुर ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर)

आ दे श

(आज दिनांक 5 – 1 – 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण 352/2000–2001 अपील में पारित आदेश दि. 31–01–2002 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार श्योपुर कलॉ को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 4–7–1997 प्रस्तुत कर

आग्रह किया कि ग्राम गोड़ाखेड़ी स्थित भूमि सर्वे कमांक 23 रकबा 11 वीघा 1 विसवा है जिसमें उसके स्वामित्व का रकबा 5 वीघा है इस भूमि का राजस्व निरीक्षक से दिनांक 13-6-97 को सीमांकन कराने पर अनावेदकगण का अतिक्रमण पाया गया है इसलिये अतिक्रमण हटवाया जाकर कब्जा वापिस दिलाया जावे। नायव तहसीलदार श्योपुर ने प्रकरण कमांक 10 अ 70/ 1997-98 दर्ज किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 14-11-2000 पारित करके अनावेदकगण का अतिक्रमण पाये जाने से बेदखली कर कब्जा वापिसी के आदेश दिये। इस आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 11/2000-2001 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-7-2001 से अपील अस्वीकार की गई। इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 352/2000-2001 अपील में पारित आदेश दिनांक 31 जनवरी 2002 से अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदक ने ग्राम गोड़ाखेड़ी स्थित भूमि सर्वे कमांक 23 रकबा 11 वीघा 1 विसवा में उसके स्वामित्व का रकबा 5 वीघा होना बताया है जबकि उसके स्वामित्व की मात्र 5 विसवा भूमि है अर्थात 5 वीघा भूमि होने का तथ्य अपलेखन से लिखा जाना प्रतीत होता है। इस 5 विसवा भूमि के पूर्व में भूमिस्वामी

जगन्नाथ रहे है जिनका अनावेदकगण से भूमि पर से आधिपत्य हटाने का विवाद भी हुआ है। जगन्नाथ द्वारा यह भूमि बल्देव नाम के व्यक्ति को विक्रय की है और बल्देव ने यह भूमि आवेदक सीताराम को विक्रय की है। भूमि का क्रय-विक्रय - भूमि जिस हालात में है उसी हालात में उसका विक्रय होगा, जबकि पूर्व में इसी भूमि के कब्जे को लेकर व्यवहार न्यायालय में विवाद भी चला है और व्यवहार न्यायालय ने इस भूमि पर अनावेदकगण का कब्जा 14 वर्षों से होना माना है। नायब तहसीलदार के समक्ष धारा 250 का आवेदन देने के 14 वर्ष अथवा इससे अधिक वर्ष पूर्व से जब अनावेदकगण का कब्जा है संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन नायब तहसीलदार ने विचार में लेने में भूल की है क्योंकि संहिता की धारा 250 के तहत केवल कब्जा करने के एक वर्ष के भीतर आवेदन प्रस्तुत होना चाहिये, तभी ऐसे आवेदन को तहसीलदार विचार में ले सकते हैं। अतएव इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 352/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-1-2002 में निकाले गये निष्कर्ष उचित पाये गये है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 352/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-1-2002 विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी अस्वीकार की जाती है।

for

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर